

In the Court of District & Additional Sessions Judge-2nd

Bhojpur at Ara

S.Tr. Case No.- 301/2009

Serial no.	Date of Order of proceeding	Order with Signature of the Court	Office action taken with date
	<u>30.07.2026</u>	अभियुक्तगण विनोद कुमार सिंह, राम प्रवेश सिंह एवं प्रमोद कुमार सिंह उर्फ लखी चंद सिंह अनुपस्थित हैं। अभियुक्तगण के विरुद्ध u/s 83 Cr.P.C. का तामिला अप्राप्त है। अभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु सारे प्रोसेस अपनाई गई है फिर भी आज तक अभियुक्तगण अनुपस्थित हैं। निकट भविष्य में उपस्थिति संभव नहीं दिखाई दे रही है। अतः अभियुक्तगण को फरार घोषित किया जाता है। कार्यालय लिपिक अभियुक्त के विरुद्ध स्थाई अधिपत्र निर्गत करें। विद्वान APP मौखिक अनुरोध किये कि धारा 299 Cr.P.C. के तहत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना है। इसलिए धारा 299 Cr.P.C. के तहत साक्ष्य को बन्द किया गया। वाद को अस्थायी रूप से निष्पादित किया जाता है। कार्यालय लिपिक अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार को जमा करें। लेखापित (सुधाकर पांडेय) अ0 सत्र न्या0-2 भोजपुर, आरा 30.07.2026	